

विभाग राजस्व लेख अडालन नाम आपके घर को मूल मूलक  
इस प्रकार का रस उध खंड अधिकारी सीपाइडी

प्रकरण सं. :- 159/2016

दापरा दिनांक :- 28-9-2016

विभाग दिनांक :- 15-05-17

उपनाम

दुर्गा लाल पुत्र मांगी लाल जाट विराट विकास मकाना एड सीपाइडी

वनाम

- 1- भारत लाल जय लखि केंद्रिय कार्म विभाग विभाग NH 90 गरीब
- 2- मुख्य अधिकारी सी पी डब्ल्यू डी कोय
- 3- आदेशाधी अधिकारी
- 4- सहायक अधिकारी
- 5- कनिष्ठ अधिकारी केंद्रिय कार्म विभाग विभाग NH 90 कार्माल

काद अनर्गत धारा 188 RTI

विभाग दिनांक 15-5-17

अधिकारिक कारी इस काद पत्र अनर्गत धारा 188  
आर टी एक्ट विरुद्ध जाट कारी गण के नाम से पत्र विभाग गण  
रिपोर्ट सिराज का अवलोकन विभाग गण कि कारानी ए. 624/1  
रकवा 14 बिस्वा, काद माल मकाना के स्थित है उक्त कारानी के  
0.0647 हे. कारानी को लडक परिवहन आरे राजमार्ग मंत्रालय ए  
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 90 के लिए अधिकृत कर विभाग के कारान  
ख. 621/425 रकवा 1.09 बीघा माल मकाना के स्थित है उक्त  
कारानी के 0.1214 हे. कारानी को लडक परिवहन आरे राजम  
मंत्रालय धारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 90 के लिए अधिकृत कर  
विभाग है। उक्त कारानी के लिए अधिकृत के काद मेष मेष  
वनी कारानी का कारी खाले गल रेकट है तथा उक्त कारानी व  
के कर्क काद मेष है। जाट कारी का माल लाल को दिखने  
करे है तथा मेष जाट कारी गण उक्त अधिकारी अधिकारी  
जाट कारी गण अथ कारी की मेष वनी कारानी के लिए विद्युत सुधार का  
जाली वगैरे तथा पानी का प्रवाह कारी की मेष वनी कारानीपान है।

समाप्त

  
राजस्व अधिकारी





कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबझौद जिला बारां

वाद संख्या	159/16	धारा अंतर्गत	188 RTA	निर्णय दिनांक	15.5.17
समक्ष -	डीराखाल बजार. RA's उपखण्ड अधिकारी छीपाबझौद				
उपस्थिति - अभिभाषक वादी				अभिभाषक प्रतिवादी	

**वाद शीषवर्क**

डुर्गाखाल डुर्गा मंगीपाल गाउँ विकास समिति नम्बर १ छीपाबझौद

- 1- भारत सरकार (जम्हाई लैचिङ्ग कौन्सेल सार्भ-विमान विभाग) नम्बर १० नई दिल्ली
- 2- मुख्य उपखण्ड ली.पी. डेप्युटी काम
- 3- आर.आर.आर. काम
- 4- सहायक उपखण्ड
- 5- कौन्सेल आर.आर.आर. कौन्सेल सार्भ-विमान विभाग नम्बर १० काम आलाबास -

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद भैवह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद सहायक उपखण्ड के आधीन पर राजस्व को नुकसान हो सका (किया जाय) के विवादित कारण प्राकृतिक मकान नम्बर छीपाबझौद के खण्ड १२२/५२२ रकबा ५५ बिक्रम खण्ड १२२/५२२ रकबा १.०७ बीघा फल आकृष्टता की गयी जब कि धरत कटु क्षेत्र की क्षेत्र की प्रमाण काल इस तथ्य पर छीपाबझौद को आदेशित किया जाय है।

साथ ही नियमानुसार.....रु० का व्यायानुतोष.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15.5.17 को निर्गत किया गया।

उपजिला मजिस्ट्रेट  
छीपाबझौद जिला बारां (स.ज.)

व्यायानुतोष			
क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		